5. यदि जांच समिति के नामित गैर-सरकारी सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या मृत्यु होती है या अन्यथा त्यागपत्र देता या अपने कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पूर्व अपनी सदस्यता छोड़ता है तो उस कार्यकाल की असमाप्त अवधि के लिए उसके स्थान पर कोई अन्य सदस्य को नियुक्त किया जाएगा ।

6. जांच समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार में यथा लागू वित्तीय नियम और प्रक्रिया के अनुसरण में यात्रा और दैनिक-भत्ता के हकदार होंगे ।

7. जांच समिति यथा सम्भव प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक अपने निर्णय की घोषणा करेगी ।

8. जांच समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा कोई अन्य पदाधिकारी द्वारा पुष्टि की शर्त पर नहीं होगा और जांच समिति के विरुद्ध कोई अपील या विरोध निहित नहीं होगा ।